

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/(18/18)/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती रेखा पंकज, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), अधीन कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, भवानीमण्डी, झालावाड को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर. एस.आर नियम 112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 10.04.2018 से 09.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 10.04.2020 से 07.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 08.08.2020 से 09.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

-Sdr
(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(18/18)/2019/ 881

दिनांक:- 28-5-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ ई.एस.आई. योजना, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड को कार्मिका के सेवाभिलेख एवं मूल एलपीसी भिजवाकर लेख है कि कार्मिका का जीएनएम प्रशिक्षण अवधि का वेतन आपके अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद से नियमानुसार आहरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, भवानीमण्डी, झालावाड।
4. प्रधानाचार्य, अरिहन्त जनरल नर्सिंग स्कूल, कोटा।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर